न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2019 दायर तारीख 09-05-2019

1. रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप जाति माली निवासी गूलर तह. परबतसर

—: *अपीलान्ट*

बनाम

1. तहसीलदार , परबतसर
2. सरंपच ग्राम पंचायत गूलर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक जवाला
4. पटवारी हल्का गूलर

— **रेस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत गूलर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.76 नामान्तकरण संख्या 401 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट।

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप जाति माली की ओर से वकील श्री गजराज चौहान यह अपील पत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम गूलर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 101 / 1 रकबा 2. 61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.0400 हैक्टयर खसरा नम्बर 326 रकबा 0.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 015 हैक्टयर, खसरा नम्बर 328 / 1 रकबा 2.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.86 हैक्टयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.97 हैक्टयर जमीन स्थित हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 123, 123 / 1 हैं अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं, केवल मात्र नामा दुरूस्ती हेतु नामान्तकरण अपील पेश की है। अपीलान्ट के तमाम दस्तावेज परिवार राशन कोर्ड, आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , पानी बिजली अंकतालिका, टीसी प्रमाण पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप हैं गांव गूलर में

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप नाम का तथा रामाराम पुत्र मनरूप नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं दोनों नामा के एक ही व्यक्ति हैं जो दोनो नामें से जाना पहचाना जाता हैं। अपीलान्ट का ग्राम गूलर के उपरोक्त खसरान की भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से रामाराम पुत्र मनरूप अंकित हुआ हैं जबकि अपीलान्ट का सही नाम रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 401 ग्राम गूलर को इस हद तक संशोधन फरमावें कि अपीलान्ट का रामूराम पुत्र मनरूप के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप माली की रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 की ओर से रेस्पडेन्ट संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि फौतगी नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया हैं शेष तथ्य अपीलान्ट स्वंय साबित करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रमाण पत्र पेश किया हैं। नामान्तकरण संख्या 401 की प्रमाणित प्रति,जमाबन्दी सम्वत 2030–33, वर्तमान जमाबनदी सम्वत 2075–78 व खसरा मिलान क्षेत्रफल, परिवार राशन कार्ड, बैक पासबुक, पानी का बिल, अंकतालिका, स्कूल का टीसी प्रमाण पत्र पेश किया है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 401 मनरूप फौत होने पर विरासत का दर्ज करते समय रामाराम पुत्र मनरूप दर्ज हो गया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रामाराम पुत्र मनरूप व रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप एक ही व्यक्ति हैं। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हैं कि रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप व रामाराम पुत्र मनरूप एक ही व्यक्ति हैं जिसको दोनों नामों से जाना जाता हैं रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट का नाम रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप है।

4. बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता दौराने बहस जाहिर किया हैं कि पटवारी हल्का ने ग्रामीण क्षेत्र में घर पर प्यार से बोल चाल की भाषा में अपीलान्ट को रामाराम कहने से नामान्तकरण संख्या 401 दर्ज करते समय रामाराम पुत्र मनरूप अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट को अन्य समस्त दस्तावेज में नाम रामेश्वरलाल है, जिससे नामान्तकरण संख्या 401 इस हद तक संशोधिन फरमाया जावें की अपीलान्ट का नाम रामूपमराम पुत्र मनरूप के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जासके।

5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 401 के अनुसार गत खसरा नम्बर 123, 123/1, 33, 102 के खातेदार मनरूप पुत्र दयाल माली के स्वर्गवास होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया है।

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

तत्पश्चात भू. अ. निरीक्षक द्वारा जांच की गई जिसमें नामान्तकरण में अंकित विवरण को सही होना माना हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

6. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 401 फौतगी नामान्तकरण हैं। ग्राम गूलर के खसरा नम्बर 123, 123/1, 33, 102 के खतोदार मनरूप पुत्र दयाल माली 1/2 फौत होने पर दर्ज किया गया हैं जिसकी जांच भू अभिलेक निरीक्षक ही जांच के बाद ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। फौत हो चुके खातेदार मनरूप के वारिसान द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार नामान्तकरण दर्ज कर उसमें वारिसान का नाम अंकित किया हैं। जिसकी जांच भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाकर संरपच ग्राम पंचायत की बैठक में सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया हैं। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.09.1976 को स्वीकृत सुदा नामान्तकरण की अपील दिनांक 09.05.2019 को लगभग 47 वर्ष बाद नामान्तकरण में नाम गलत अंकित होना बता कर यह अपील पेश की हैं। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर हैं तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलांट द्वारा सिद्ध नही की जाने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19
(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)